



अगस्त 2020

## PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **कोविड-19**
  - तरलता समर्थन के लिये अतिरिक्त उपाय
  - डेबिटकार्ड के लिये वर्कगिंग कैपिटल लोन
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
  - वर्ष 2020-21 की पहली त्रिमाही में GDP में 23.9% की गिरावट
  - वर्ष 2020-21 की पहली त्रिमाही में औद्योगिक उत्पादन में 36% की गिरावट
  - रेपो दर और रिवर्स रेपो दर अपरविरतनीय रही
- **वित्त**
  - GST मुआवजे की कमी को पूरा करने हेतु दो वकिलप
  - राष्ट्रीय वित्तीय शक्ति रणनीति
  - प्रॉक्सी सलाहकारों के लिये प्रक्रियागत दिशा-निर्देश
  - खुदरा भुगतान पर केंद्रित छूट इकाई की स्थापना के लिये फ्रेमवर्क
- **स्वास्थ्य**
  - स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा
- **वधि और न्याय**
  - आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिये नियम
- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता**
  - राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद
- **सूचना एवं प्रसार**
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इम्पैनलमेंट के लिये दिशा-निर्देश जारी
- **कृषि**
  - चीनी विकास फंड (संशोधन) नियम, 2020
- **रक्षा**
  - रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति 2020
  - आयात एंबार्गो के लिये 101 वस्तुओं की सूची
  - घरेलू उद्योग द्वारा डिज़ाइन और विकास के लिये प्रणालियाँ
- **सड़क परिवहन**
  - मोटर वाहनों से संबंधित नियमों में मसौदा संशोधन
  - प्री फिटिड बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति
  - राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर फास्टैग अनिवार्य
- **रेलवे**
  - सुरक्षा के लिये ड्रोन आधारित सर्विलांस प्रणाली शुरू
- **खनन**
  - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार
- **बजिली**
  - सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और ट्रांसमिशन
- **शिक्षा**
  - इंटरनेट एंबेडेड कार्यक्रमों के लिये दिशा-निर्देश
- **संचार**
  - स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन के उपाय
- **अल्पसंख्यक मामले**
  - नई रोशनी योजना

## कोवडि-19

### • तरलता समर्थन के लिये अतिरिक्त उपाय

भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कोवडि-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव को कम करने के लिये वित्तीय बाज़ारों और व्यक्तियों को तरलता समर्थन देने की घोषणा की है। इसके लिये RBI ने निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है उनमें नमिनललिखित शामिल हैं:

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India- SIDBI), राष्ट्रीय आवासीय बैंक (National Housing Bank- NHB) और एक्जिम बैंक (EXIM Bank) जैसे वित्तीय संस्थानों के लिये 65,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता सुविधा।
- लघु वित्त संस्थानों और दूसरे छोटे NBFC को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिये नाबारड को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वशेष लक्विडिटी सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा RBI के रेपो दर पर एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होगी।
- सोने की ज्वैलरी पर लोन की राशि की सीमा 75% से बढ़ाकर 90% की गई है। यह राहत 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध होगी।

### • डिस्कॉम्स के लिये बर्कगि कैपिटल लोन

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वदियुत वित्त नगिम और ग्रामीण वदियुतीकरण नगिम द्वारा राज्यों के स्वामित्व वाली वतिरण कंपनियों को दिये गए बर्कगि कैपिटल लोन की सीमा में राहत को मंजूरी दी है। यह एकमुश्त राहत है यानी [उदय योजना](#) द्वारा दी गई सीमा, यानी पछिले वर्ष के राजस्व के 25% पर राहत दी गई है। [उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना](#) (Ujwal Discom Assurance Yojana- UDAY) बर्कगि पूंजी लोन को डिस्कॉम्स के पछिले वर्ष के राजस्व के 25% पर सीमा करती है। इससे वदियुत क्षेत्र में तरलता की सुविधा मलिंगी जो कि कोवडि-19 के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहा है।

## समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

### • वर्ष 2020-21 की पहली तमिाही में GDP में 23.9% की गरिावट


वर्ष 2019-20 की पहली तमिाही (अप्रैल-जून) की तुलना में 2020-21 की पहली तमिाही में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) (2011-12 की स्तरि कीमत पर) में 23.9% की गरिावट आई है। इसकी तुलना में वर्ष 2019-20 के चौथी तमिाही में GDP की वृद्धि दर 3.1% थी।

#### [और पढ़ें](#)

### • वर्ष 2020-21 की पहली तमिाही में औद्योगिक उत्पादन में 36% की गरिावट

वर्ष 2019-20 की पहली तमिाही (अप्रैल-जून) की तुलना में वर्ष 2020-21 की पहली तमिाही में [औद्योगिक उत्पादन सूचकांक](#) (Index of Industrial Production- IIP) 36% कम हो गया है। वर्ष 2020-21 के अप्रैल, मई और जून में खनन, वनिर्माण तथा वदियुत उत्पादन में वृद्धि नकारात्मक थी। वर्ष 2019-20 की चौथी तमिाही में IIP में 3.8% की वृद्धि के साथ गरिावट आई है। रेखाचित्र 1 में वर्ष 2020-21 की पहली तमिाही में औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन प्रदर्शति है।

रेखाचित्र 1: 2020-21 की पहली तमिाही में IIP में नकारात्मक वृद्धि



#### [//](#)

### • रेपो दर और रविर्स रेपो दर अपरविर्तनीय रही

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने वर्ष 2020-21 का दूसरा द्वमिासिक मौद्रिक नीतगित वक्तव्य जारी किया।

#### [और पढ़ें](#)

## वर्तित

### • GST मुआवज़े की कमी को पूरा करने हेतु दो विकल्प

केंद्र सरकार ने GST परषिद को वर्ष 2020-21 के लिये GST मुआवज़े हेतु अपने अनुमान पेश किये और राज्यों के सामने मुआवज़ा उपकर संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये दो विकल्प रखे। GST (राज्यों को मुआवज़ा) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत केंद्र सरकार से उस स्थिति में राज्यों को मुआवज़ा चुकाने की अपेक्षा की जाती है, अगर जुलाई 2017 से जून 2022 के दौरान किसी वर्ष उनका GST राजस्व 14% से कम बढ़ता है।

### और पढ़ें

### • राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (National Centre for Financial Education) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI), भारतीय प्रतभूत वनिमिय बोर्ड (Securities Exchange Board of India- SEBI), भारतीय बीमा वनिमियमक और विकास प्राधकिरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) तथा पेंशन नधि नयामक एवं विकास प्राधकिरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) के परामर्श से वर्ष 2020-25 की अवधि हेतु दूसरी वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Education- NSFE) जारी की।

### और पढ़ें

### • प्रॉक्सी सलाहकारों के लिये प्रक्रियागत दशा-नरिदेश

वर्ष 2014 में भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने प्रॉक्सी सलाहकारों के आचरण को अभिशासित करने के लिये वनिमियों को अधिसूचित किया था। एक प्रॉक्सी सलाहकार कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी के संस्थागत नविशकों या शेयरधारकों को कंपनी में अपने मतदान अधिकारों के प्रयोग की सलाह देता है। सेबी ने इन प्रॉक्सी सलाहकारों के लिये प्रक्रियागत दशा-नरिदेशों को अधिसूचित किया है। इन उपायों से प्रॉक्सी सलाहकारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। वर्ष 2018 में सेबी ने प्रॉक्सी सलाहकारों की समस्याओं पर एक वर्कगि ग्रुप का गठन किया था। इस ग्रुप के सुझावों में ये उपाय शामिल थे।

प्रक्रियागत दशा-नरिदेशों में शामिल हैं:

- **मतदान के सुझाव पर नीतियाँ:** प्रॉक्सी सलाहकार मतदान के सुझाव पर नीतियाँ बनाएंगे और अपने ग्राहकों को उनके बारे में बताएंगे। इन नीतियों की वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिये।
- **खुलासे का तरीका:** सलाहकार अपने ग्राहकों को अनुसंधान और सुझावों के लिये विकास की पद्धति एवं प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे।
- **रिपोर्टों को साझा करना:** सलाहकार एक ही समय में अपने ग्राहकों और कंपनी के संबंध में अपने सुझावों को साझा करेंगे। कंपनी की टपिपणी, यदि कोई हो, को सलाहकारों की अनुशंसा रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। यदि किसी सुझाव पर कंपनी का दृष्टिकोण अलग है, तो सलाहकार उनकी अनुशंसा को संशोधित भी कर सकते हैं।
- **हतियों का टकराव:** सलाहकार हर उस दस्तावेज़ को लेकर हतियों के टकराव का खुलासा करेंगे जिस पर वे सलाह देते हैं। खुलासे में हतियों के टकराव के संभावित क्षेत्र और संघर्षों को कम करने हेतु समाधान शामिल होने चाहिये। प्रॉक्सी सलाहकार परामर्श सेवाओं सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न हतियों के टकराव का खुलासा करने, उनका प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिये स्पष्ट प्रक्रियाएँ बताएंगे।
- **खुदरा भुगतान पर केंद्रित छत्र इकाई की स्थापना के लिये फ्रेमवर्क**

RBI ने खुदरा भुगतान प्रणालियों पर केंद्रित अखलि भारतीय छत्र इकाई की स्थापना के लिये फ्रेमवर्क जारी किया। वर्तमान में RBI खुदरा भुगतान और नपिटान प्रणाली के लिये एक छत्र संगठन का संचालन करता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम नामक एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में बनाया गया है।

फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **स्थापना:** इस कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाया जाना चाहिये और यह एक लाभकारी कंपनी हो सकती है। इसका वनिमियम और पर्यवेक्षण भुगतान और नपिटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत RBI द्वारा किया जाएगा।
- **गतविधियाँ:** इकाई की गतिविधियों के दायरे में नमिनलिखित शामिल हैं:
  - (i) ATM, आधार-आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाओं तथा नई भुगतान विधियों सहित खुदरा स्थान में नई भुगतान प्रणालियों को स्थापित, प्रबंधित और संचालित करना।
  - (ii) इनमें भाग लेने वाले बैंकों और गैर-बैंकों के लिये समाशोधन और नपिटान का कार्य करना।
- **प्रवर्तकों के लिये पात्रता:** छत्र इकाई द्वारा भुगतान की गई पूंजी का 25% से अधिक हस्सिा रखने वाली किसी भी इकाई प्रवर्तक मानी जाएगी। प्रवर्तक को भुगतान पारस्थितिकि तंत्र में कम-से-कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ एक नविासी भारतीय नागरिक [वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अनुसार] होना चाहिये। प्रवर्तक RBI द्वारा नरिदषिट 'फटि और प्रॉपर' मानदंडों के भी अनुरूप होना चाहिये।
- **वदिशी नविश:** फेमा के नधियों के अनुसार, प्रत्यक्ष वदिशी नविश और वदिशी पोर्टफोलियो नविश की अनुमति होगी।
- **पूंजी:** इकाई के पास न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की भुगतान पूंजी होनी चाहिये। कोई भी प्रवर्तक इकाई की पूंजी में 40% से अधिक नविश नहीं कर

सकता है। प्रवर्तक की शेरधारता इकाई के व्यवसाय शुरू होने के पाँच वर्ष बाद न्यूनतम 25% तक कम हो सकती है।

- **आवेदन की प्रोसेसिंग:** एक बाहरी सलाहकार समिति छत्र इकाई के लिये आवेदनों की जाँच करेगी और भुगतान एवं नपिटान प्रणाली (BPSS) के वनियमन और पर्यवेक्षण के लिये RBI के बोर्ड को सुझाव प्रस्तुत करेगी। BPSS आवेदन पर फ़सला लेने वाली अंतिम प्राधिकारी होगी।

## स्वास्थ्य

### • स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीतिका मसौदा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीतिका मसौदा सार्वजनिक टपिपणियों के लिये जारी कर दिया है।

[और पढ़ें](#)

## वधि और न्याय

### • आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिये नयिम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नयिम, 2020 [Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020] के लिये आधार सत्यापन को अधिसूचित किया। इन नयिमों को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं की लक्षति डलिवरी) अधिनयिम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आधार अधिनयिम केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह उन उद्देश्यों के लिये नयिम बनाए जिनके लिये आधार के प्रमाणीकरण की मांग की जा सकती है।

नयिम यह प्रावधान करते हैं कि केंद्र सरकार कुछ उद्देश्यों के लिये संस्थाओं को आधार-आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है, जैसे- सुशासन कायम करना, धन के रसाव को रोकना, नवासियों को बेहतर जीवन देना और सेवाओं तक बेहतर पहुँच। नमिनलखित उद्देश्यों के लिये सत्यापन की मांग की जा सकती है:

(i) सुशासन सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग।

(ii) सामाजिक कल्याण लाभों के रसाव की रोकथाम।

(iii) नवाचार को सक्षम करना और ज्ञान का प्रसार।

इन उद्देश्यों के लिये सत्यापन स्वैच्छिक आधार पर होगा। उपरोक्त उद्देश्यों के लिये आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने हेतु इच्छुक कोई भी केंद्रीय मंत्रालय या राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार करेगी और इसे मंजूरी के लिये भारतीय वशिषिट पहचान प्राधिकरण को सौपेगी।

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता

### • राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद

[ट्रांसजेंडर व्यक्तियों \(अधिकारों का संरक्षण\) अधिनयिम, 2019](#) [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019] में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद का गठन करेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों परिषद का गठन किया है।

[और पढ़ें](#)

## सूचना एवं प्रसार

### • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इम्पैनेलमेंट के लिये दशा-नरिदेश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने आउटरीच और संचार ब्यूरो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मनोनयन (Empanelment) के लिये नीतगत दशा-नरिदेश जारी किये हैं। ब्यूरो प्रॉटि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया या भारत सरकार के मंत्रालयों या वभिगों की ओर से वेबसाइट्स के ज़रिये भुगतान किये गए आउटरीच अभियानों के लिये ज़मिमेदार एक नोडल एजेंसी है। दशा-नरिदेशों के मुख्य पहलुओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- **इम्पैनेलमेंट के लिये पात्रता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में हर महीने न्यूनतम 25 मिलियन यूनीक यूज़र्स होने चाहिये (जो कि पिछले तीन महीने के डेटा पर नरिभर करेगा)। इसके अतरिकित प्लेटफॉर्म को उसी डोमेन नेम से कम-से-कम छह महीने के लिये ऑपरेशन में होना चाहिये।

- **संलग्नता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्यूरो के साथ एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की शर्तों में प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सामग्री राष्ट्र वरिधी, अश्लील, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाली नहीं है या साइबर कानून का उल्लंघन करने वाली नहीं है।
- ब्यूरो सामग्री, लक्ष्य दर्शकों, अभियान के बजट और अवधि के आधार पर निर्धारित करेगा कि ग्राहक मंत्रालय/वर्षा की योजनाबद्ध आउटरीच गतिविधि के लिये कौन से प्लेटफॉर्म प्रासंगिक हैं। भारत स्थित प्लेटफॉर्म को वरीयता दी जाएगी।
- **मूल्य निर्धारण:** ब्यूरो सरकारी संदेशों के लिये इनवेंटरी/स्पेस खरीदने हेतु नीलामी प्रक्रिया में भाग लेगा। ये संदेश टेक्स्ट, वीडियो वजिापन, कैरोयुजल वजिापन, संग्रह वजिापन इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। इनवेंटरी/स्पेस खरीदने के मॉडल नमिनलखित हो सकते हैं:
  - (i) डायनैमिक प्राइजिंग मॉडल (जहाँ ब्यूरो से क्लिक या व्यूज के आधार पर शुल्क लिया जाएगा), (ii) नीलामी मॉडल (जहाँ इनवेंटरी खरीदने के लिये कुछ बोली राशिका संकेत देकर ब्यूरो को ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना होगा), या
  - (ii) पहुँच और फ्रीक्वेंसी मॉडल (जहाँ ब्यूरो एक निश्चित मूल्य के लिये एडवांस में अभियान बुक कर सकता है)।
- संबंधित ग्राहक मंत्रालय और वर्षा (Client Ministry And Department) को एडवांस में ब्यूरो को 100% धनराशि देनी होगी।
- **प्लेटफॉर्म के करतव्य:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक वास्तविक समय डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटल रपॉर्ट सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होगा जो कि अभियान से संबंधित मातृात्मक परणाम दिखाता हो (जैसे कि व्यूज, क्लिक, इंप्रेशन, फॉलोअर्स की संख्या)। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के किसी मंत्रालय या एजेंसी द्वारा सस्पेंड या ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिये।

## कृषि

### • चीनी विकास फंड (संशोधन) नियम, 2020

खाद्य और सार्वजनिक वितरण वर्षा ने चीनी विकास कोष (संशोधन) नियम, 2020 [Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2020] को अधिसूचित किया। चीनी विकास कोष अधिनियम, 1982 (Sugar Development Fund Act, 1982) के अंतर्गत स्थापित इस कोष को चीनी उद्योग की विकास संबंधी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिये उपयोग किया जाता है। 2020 नियमों की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- **चीनी कारखानों को ऋण:** मौजूदा नियमों के अंतर्गत 2,500 टन प्रतिदिन या उससे अधिक गन्ने की पैराई कृषमता वाले कारखाने कोष से ऋण के लिये पात्र हैं। इस ऋण को नमिनलखित से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है:
  - (i) एल्कोहल या गुड़ से एनहाइड्रस एल्कोहल या इथेनॉल का उत्पादन।
  - (ii) मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को शून्य तरल डिस्चार्ज संयंत्र में बदलना।
  - (iii) सामान आधारित सह-बजिली उत्पादन।
- 2020 के नियमों के अंतर्गत संशोधन यह प्रावधान करते हैं कि 1,250 टन और 2,500 टन प्रतिदिन के बीच पैराई कृषमता वाले चीनी कारखाने भी इन कृषेत्रों में ऋण के लिये पात्र होंगे। हालाँकि ऐसे कारखानों को आधुनिकीकरण और वसितार परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान किया जाएगा जो कि को-जेनरेशन या इथेनॉल संयंत्र के साथ एकीकृत हैं। यह कुछ शर्तों के अधीन होगा, जैसे:
  - (i) बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का प्रमाणन।
  - (ii) राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर या केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता का प्रमाणीकरण।
  - (iii) ऋण के लिये राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत करना।
- **ऋण पर डिफॉल्ट के लिये जुरमाना:** अगर कोई कोष के ऋण को चुकाने में डिफॉल्ट करता है तो उसे डिफॉल्ट की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर चुकानी होती है या वह दर चुकानी होती है, जसि केंद्र सरकार तय करती है। संशोधन में इस ब्याज दर को कम करके 4% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

## रक्षा

### • रक्षा उत्पादन और नरियात संवर्द्धन नीति 2020

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और नरियात संवर्द्धन नीति (Defence Production & Export Promotion Policy- DPEPP) 2020 का मसौदा जारी किया है। इस नीति का उद्देश्य देश की रक्षा उत्पादन कृषमताओं को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता के लिये नरियात को बढ़ावा देना है।

[और पढ़ें](#)

### • आयात एंबारगो के लिये 101 वस्तुओं की सूची

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने 101 वस्तुओं की एक सूची प्रकाशित की है जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा। सूची में हथियार प्रणाली, जैसे- आर्टिलरी गन, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, उच्च शक्ति वाले रडार और अपग्रेड सिस्टम आदि उपकरण शामिल हैं।

[और पढ़ें](#)

### • घरेलू उद्योग द्वारा डिज़ाइन और विकास के लिये प्रणालियाँ

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने 108 प्रणालियों और उप-प्रणालियों की

सूची को चर्हिणति कथिा है जनिहें भारतीय उद्योग द्वाारा डज़िाइन और वकिस्ति कथिा जाएगा । इनमें मनिं और माइक्रो अनमैन्ड एरयिल वेहकिल, मरीन रॉकेट लॉन्चर, फायर डटिकशन प्रणाली और ट्रांसपॉन्डर प्रणाली आदि शामिल हैं । DRDO आवश्यकता के आधार पर उद्योग को इन प्रणालियों के डज़िाइन, वकिास और परीक्षण के लथि सहयोग प्रदान करेगा । उसने प्रणालियों के वकिास हेतु वर्ष 2021 की समयावधितय की है ।

## सड़क परविहन

### • मोटर वाहनों से संबंघति नथिमों में मसौदा संशोधन

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन नथिम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में वभिनिन मसौदा संशोधन जारी कथि । इन संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **वाहन के पंजीकरण दस्तावेज़ों में स्वामतिव का उल्लेख:** मंत्रालय ने मोटर वाहन पंजीकरण के दस्तावेज़ों में स्वामतिव को शामिल करने के लथि सुझाव आमंत्रति कथि है । मंत्रालय ने कहा क केंद्रीय मोटर वाहन नथिम, 1989 के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण फॉर्म में फलिहाल स्वामतिव से संबंघति वविरण उचति तरीके से प्रदर्शति नहीं होते । प्रस्तावति मसौदा नथिम एक नए खंड को शामिल करते हैं जसिमें स्वामतिव के प्रकार का प्रावधान है । इसके अंतर्गत नमिनलखिति श्रेणथिों शामिल हैं:

- स्वायत्त नकिाय
- केंद्र सरकार
- ड्राइवगि स्कूल
- दवियांगजन
- फर्म
- व्यक्तगित
- पुलसि वभिाग
- बहु स्वामतिव इत्यादि

### • प्री फटिड बैटरी के बनिा इलेक्ट्रिक वाहनों की बकिरी और पंजीकरण की अनुमति

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्री फटिड बैटरी के बनिा इलेक्ट्रिक वाहनों की बकिरी और पंजीकरण की अनुमति दे दी है । मंत्रालय ने नरिदषि कथिा है क एैसे वाहनों को टेस्ट एजेंसी द्वाारा जारी अनुमोदन प्रमाणपत्र के आधार पर बेचा और पंजीकृत कराया जा सकता है । इसके अतरिकित बैटरी के मेक/टाइप या कसिी और वविरण को नरिदषि करना रजसि्ट्रेशन के लथि ज़रूरी नहीं होगा । हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहन के प्रोटोटाइप और बैटरी (नथिमति बैटरी या स्वैपेबल बैटरी) को केंद्रीय मोटर वाहन नथिम, 1989 के अंतर्गत नरिदषि परीक्षण एजेंसिथिों द्वाारा अनुमोदति होना चाहथि ।

### • राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर फास्टैग अनविर्य

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल शुल्क प्लाज़ा पर वापसी यात्रा छूट लेने या कसिी और कसिम की छूट लेने के लथि फास्टैग को अनविर्य कर दथिा है ।

[और पढ़ें](#)

## रेलवे

### • सुरक्षा के लथि ड्रोन आधारति सर्वलिांस प्रणाली

- रेलवे ने ड्रोन आधारति नगिरानी प्रणाली स्थापति करने के लथि नौ ड्रोनस और दो ननिजा अनमैन्ड एरयिल वेहकिल (Ninja Unmanned Aerial Vehicles) खरीदे हैं । रेलवे की सुरक्षा के लथि रेलवे संरक्षण बल इनका उपयोग करेगा । ड्रोनस को नमिनलखिति के लथि तैनात कथिा जाएगा:

  - रेलवे की संपत्तथिों का नरिीक्षण ।
  - आपराधकि और असांमजकि गतवधिथिों, जैसे- जुए, कचरा फेंकने आदि पर नज़र रखना ।
  - आपदा की स्थतिथि में बचाव, रकिवरी और बहाली ।
  - डेटा संग्रह करने के कुछ कार्यों, जैसे भीड़ की स्थतिथि को मापना ।

रेलवे की योजना भवथिय में 17 अतरिकित ड्रोनस खरीदने की है ।

## खनन

### • खनन क्षेत्र में प्रस्तावति सुधार

खनन मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में प्रस्तावति सुधारों पर टपिपणथिों आमंत्रति की है । इन सुधारों में खनन क्षेत्र में नजिी नविश बढ़ाने के लथि [आतमनरिभर भारत अभथिान](#) के अंतर्गत घोषणाओं को लागू करने का प्रयास कथिा गया है । खान और खनजि (वकिास एवं वनियिमन) अधनियिम, 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957] तथा अधनियिम के अंतर्गत अधसिूचति नथिमों में कुछ संशोधन प्रस्तावति हैं ताक इन सुधारों को लागू

किया जा सके। प्रस्तावति सुधारों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **एंड यूज के प्रतबंध को हटाना:** भविष्य में सभी खानों को एंड यूज के प्रतबंधों के बिना नीलाम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा कैंप्टवि खदानों संबंधी उपलब्ध पहले इनकार (First Refusal) के अधिकार को भी समाप्त किया जाएगा। वर्तमान में बंदी खानें पछिले वर्ष उत्खनति कुल खनजिों में से 25% तक को बेच सकती हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
- **नजिी संस्थाओं द्वारा अन्वेषण:** पूर्वेक्षण कम खनन पट्टे नीलामी के ज़रिये खनजि ब्लॉक्स की आंशिक खोज के लिये दिये जाते हैं। यह पट्टा पूर्वेक्षण और खनन गतिविधियों दोनों के लिये संयोजन लाइसेंस होता है। नजिी संस्थाएँ अन्वेषण के काम में संलग्न होंगी। उनके खोज के कार्य का वित्तपोषण राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण न्यास नधि (National Mineral Exploration Trust Fund) द्वारा किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा था कि संभाव्य से अधिक बड़ी संख्या में लीज अवरुद्ध हो गई है क्योंकि या तो उनके लीज देने की अवधि खत्म हो गई है या कानूनी गतिरिध के कारण वे नीलामी में शामिल नहीं हो पाई हैं। मंत्रालय ने 1957 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि ऐसे ब्लॉक्स को नीलामी के ज़रिये दोबारा आवंटित किया जा सके। उसने एक ऐसे प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रस्ताव भी रखा जो उन लोगों जिनके अधिकार रद्द हो जाएंगे, द्वारा की गई खोज में खर्च हुए व्यय की अदायगी कर सकें।

- **गैर-कार्यशील खानों का पुनः आवंटन:** नजिी कंपनियों के स्वामित्व वाली खदानें जो तीन वर्ष से चालू नहीं हैं, उन्हें नीलामी के माध्यम से पुनः आवंटित करने के लिये संबंधित राज्य को दे दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की उन यूटिलिटीज के लिये आवंटित खदानों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, जो उत्पादन नहीं कर रही हैं।
- **अवैध खनन की परभाषा:** मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में लीजहोल्ड क्षेत्र के बाहर होने वाले अवैध खनन और खनन लीज क्षेत्र के भीतर मंजूरियों का उल्लंघन करते हुए खनन के बीच कोई अंतर नहीं है। 1957 के संशोधन अधिनियम में यही प्रस्तावति है कि लीजहोल्ड क्षेत्र के बाहर अवैध खनन को लीज क्षेत्र के भीतर के खनन से अलग करके देखा जाएगा।

## बजिली

- **सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और ट्रांसमिशन**

बजिली मंत्रालय (Ministry of Power) ने कुछ सौर और पवन संयंत्रों के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और ट्रांसमिशन के नुकसान पर छूट से संबंधित एक आदेश जारी किया। यह राष्ट्रीय वदियुत टैरिफ नीति, 2016 (National Electricity Tariff Policy, 2016) के अनुरूप है जो वदियुत संयंत्र नमिनलखिति मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें कमीशनगि की तारीख से 25 वर्ष तक की अवधि के लिये यह छूट मलिगी:

- ऊर्जा के सौर या पवन स्रोतों का उपयोग करने वाले वे ऊर्जा संयंत्र जनिहें 30 जून, 2023 तक अधिकृत किया गया है, इसके पात्र होंगे। इनमें हाइड्रडि सोलर वडि पावर प्लांट्स भी शामिल हैं।
- केवल वही संयंत्र पात्र होंगे जो नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation- RPO) वाली संस्थानों को वदियुत बेचते हैं, भले ही वदियुत की आपूर्ति RPO के भीतर हो या न हो। वतिरण लाइसेंसधारियों के लिये उत्पादति बजिली हेतु केंद्र सरकार से संबंधित दशिा-नरिदेशों के अंतर्गत एक प्रतसिपदधी प्रक्रिया के ज़रिये बजिली की खरीद होनी चाहिये।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों को नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Central Public Sector Undertaking- CPSU) के योजना चरण 2 या भारतीय सौर ऊर्जा नगिम (Solar Energy Corporation of India) की वनिरिमाण क्षमता से जुड़ी योजना के टैंडर के अंतर्गत कमीशन होना चाहिये। मंत्रालय के CPSU योजना चरण 2 का लक्ष्य सरकारी उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को सहज बनाना है।

## शक्ति

- **इंटरनशिप एंबेडेड कार्यक्रमों के लिये दशिा-नरिदेश**

वशिवदियालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) ने प्रशक्तिभुता या प्रशक्तिषण सन्नहिती डगिरी कार्यक्रमों (Apprenticeship or Internship Embedded Degree Programmes) को प्रस्तुत करने वाले उच्च शक्ति संस्थानों के लिये दशिा-नरिदेश प्रकाशति किये हैं। इन दशिा-नरिदेशों के नमिनलखिति लक्ष्य है:

(i) स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले वदियार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार।

(ii) उच्च शक्ति प्रणाली और उद्योग के बीच संबंधों को सुधारना।

उल्लेखनीय है कि उच्च शक्ति संस्थान (Higher Education Institution- HEI) का कोई भी कार्यक्रम प्रशक्तिषण के साथ सन्नहिती होगा। HEI डगिरियों देने के लिये अधिकृत है। दशिा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- प्रशक्तिषण में कार्य-आधारित शक्ति प्राप्त करने के लिये कार्यस्थल परसिर में (संस्थान परसिर में नहीं) प्रशक्तिषणवृत्त (Traineeship) की पेशकश करेगा।
- HEI के पास प्रशक्तिषण सन्नहिती कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रशक्तिषण प्रदान करने के लिये संगठनों, उद्यमों और औद्योगिक नकियों के साथ एक पूर्व समझौता ज्ञापन होना चाहिये।

- डगिरी के कुल करेडिटि का कम-से-कम 20% करेडिटि प्रशकिषण के हसिसे में होना चाहिये ।
- प्रशकिषण सन्नहिती कार्यक्रम से सनातक करने वाले वदियार्थी उसी वषिय में मास्टर प्रोगराम में प्रवेश लेने के लिये पात्र होंगे । यह उस वषिय के लिये भी कथिया जा सकता है जसिके लिये उन्होंने न्यूनतम 24 करेडिटि अरजति कथि हैं (इंटरनशपि के दौरान अरजति करेडिटि सहति) ।
- HEI के पास यह वकिल्प होगा कविह प्रोगराम की अवधामें बदलाव कथि बना डगिरी प्रोगराम के हसिसे के रूप में प्रशकिषण के लिये कम-से-कम एक सेमस्टर को सन्नहिती कर सके ।
- संस्थान (जहाँ प्रशकिषण प्रदान कथि जा रहा है) उद्योग/संगठन के परामर्श से प्रशकिषण के आकलन का वकिल्प चुन सकते हैं ।

## संचार

### • स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन के उपाय

भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने स्पेक्ट्रम शेररगि के मामलों में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन के तरीकों से संबंधति सुझाव जारी कथि हैं ।

मोबाइल एक्सेस सर्वसि देने वाले लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (Spectrum Usage Charges- SUC) देना होता है जसिकी गणना वार्षिकि सकल राजस्व (Annual Gross Revenue- AGR) के प्रतशित के रूप में की जाती है । ये शुल्क 3% से 8% के बीच होते हैं जो कवायरलेस लाइसेंसधारी के स्पेक्ट्रम के परमाण और प्रकार पर नरिभर करता है । AGR सकल राजस्व से स्वीकार्य कटौतियों के बाद शुद्ध राजस्व होता है । सकल राजस्व से कुछ शुल्कों और करों, जैसे- अन्य सेवा प्रदाताओं को दथि जाने वाले रोमगि शुल्क और सेवा कर एवं बकिरी कर को घटाने के बाद AGR प्रापत होता है ।

लाइसेंसधारी जसिे कसिी नरिदषिटि प्रकरथिया (नीलामी या प्रशासनिकि आवंटन) के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटति कथि जाता है, अपने स्पेक्ट्रम को कसिी अन्य लाइसेंसधारी के साथ साझा कर सकता है । वर्तमान में स्पेक्ट्रम शेररगि को सरिफ एक ही बैंड में शेरर कथि जा सकता है । शेररगि के बाद प्रतयेक लाइसेंसधारी का SUC दर 0.5% बढ़ जाता है । दूरसंचार वभिग से यह अनुरोध कथि गया है क SUC के बढ़ी हुई दर (इंकरेमेंटल रेट) को सरिफ शेरर कथि गए स्पेक्ट्रम पर लागू कथि जाए, न क लाइसेंसधारी के पूरे बैंड पर । वभिग ने TRAI से कहा कविह इस संबंध में अपने सुझाव पेश करे । मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **वृद्धशील SUC दर की प्रयोज्यता:** TRAI ने सुझाव दथि था क SUC दर पर 0.5% की वृद्धिको उस वशिष बैंड के स्पेक्ट्रम पर लागू होना चाहिये जसिमें शेररगि की जा रही है, न क लाइसेंसधारक के संपूर्ण स्पेक्ट्रम पर । उसने कहा क लाइसेंसधारी के पूरे स्पेक्ट्रम पर वृद्धशील SUC दर लागू होने की स्थति में स्पेक्ट्रम शेररगि की लागत उस शेररगि से प्रापत होने वाले लाभ से अधिकि हो सकती है ।
- **स्पेक्ट्रम शेररगि को समापत करने की सूचना:** TRAI ने कहा क स्पेक्ट्रम शेररगि के मौजूदा दशिा-नरिदेशों में लाइसेंसधारियों द्वारा स्पेक्ट्रम शेररगि एग्रीमेंट को परस्पर समापत करने का वशिषिट उल्लेख नहीं होता । उसने सुझाव दथि क इसका उल्लेख दशिा-नरिदेशों में होना चाहिये । इससे ज़रूरत और वाणज्यिकि आधार पर स्पेक्ट्रम के प्रबंधन को लचीलापन प्रदान कथि जाने की उम्मीद है ।

## अल्पसंख्यक मामले

### • नई रोशनी योजना

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व वकिस के लिये नई रोशनी नामक योजना (Nai Roshni Scheme) का संचालन करता है । इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और मध्यस्थों से बातचीत करने के लिये उपकरण प्रदान करना है । मंत्रालय ने अधसूचिति कथि है क लाभार्थियों को इस योजना के अंतरगत लाभ हासलि करने के लिये आधार नंबर का प्रमाण देना होगा । जनि महिलाओं का अब तक आधार के अंतरगत नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें योजना के अंतरगत उपलब्ध प्रशकिषण कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले नामांकन करना होगा ।

[और पढ़ें](#)